



Government of Madhya Pradesh

2. Receipts under State Motor Vehicles Taxation Act

Receipts under State Motor Vehicle Act

धाराएँ	पृष्ठ क्र.
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.	1
2. परिभाषाएँ.	1
3. मोटरयानों पर कर उद्ग्रहण.	1
4. व्यापारी या विनिर्माता द्वारा देय कर.	2
5. कर का संदाय.	2
6. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर अधिरोपित किए जाने का वर्जन.	3
7. स्थानीय प्राधिकरणों को अनुदान.	3
8. घोषणा का फाइल किया जाना और देय कर का अवधारण.	4
9. कराधान प्राधिकारी के समक्ष बीमा प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत किया जाना.	4
10. कर के संदाय की रीति.	4
11. कर के उद्ग्रहण से सामान्य छूट.	5
12. टोकन प्रदान करना.	5
13. कर का संदाय करने में असफल रहने के लिए शास्ति.	5
14. कर की वापसी.	6
15. कर, शास्ति की ब्याज सहित वसूली.	7
16. कर का संदाय न किए जाने की स्थिति में प्रवेश करने, किसी मोटरयान का अभिग्रहण करने या उसे निरुद्ध करने की शक्ति.	7
17. अपराध के दंड के लिए साधारण उपबंध.	9
18. अधिकारी लोक सेवक होंगे.	9
19. वाद या अन्य कार्यवाहियों का वर्जन.	9
20. अपील.	9
20-क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील.	10
20-ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण.	10
20-ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.	11
21. कर से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति.	11
22. कर की मांग और वसूली के रजिस्टर का रखा जाना.	11
23. अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति.	11
24. नियम बनाने की शक्ति.	12
25. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति.	12
26. निरसन और व्यावृत्ति.	12
प्रथम अनुसूची.	13-24
द्वितीय अनुसूची.	25-26
तृतीय अनुसूची.	27



Government of Madhya Pradesh

अनुसूची 1 मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 13

प्रथम अनुसूची
[धारा 3 की उपधारा (1)]

मोटरयान का वर्ग (1)	मोटरयानों के लिये तिमाही कर की दर (2)
1[एक. मोटर साइकिल -- जिसका लदान रहित वजन-	रुपये
(क) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है	18.00
(ख) 70 किलोग्राम से अधिक है जिनका उपयोग चाहे अनयान (ट्रेलर) खींचने (ड्राइंग) के लिए किया जाता है या नहीं	28.00
दो. मोटरकार -- जिसका लदान रहित वजन-	
(क) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	64.00
(ख) 800 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	94.00
(ग) 1600 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	112.00
(घ) 2400 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	132.00
(ङ) 3200 किलोग्राम से अधिक है	150.00
प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर जिसका लदान रहित वजन :-	
(क) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	28.00
(ख) 1000 किलोग्राम से अधिक है।	66.00
तीन. अशक्त यात्री गाड़ी :	9.00
चार. लोक सेवा यान :	
किराए या पारिश्रमिक (रिवार्ड) के लिए चलाए जा रहे तथा यात्रियों के परिवहन के उपयोग में लाए जा रहे मोटरयान-	
² [(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (मोटर साइकिल/ऑटोरिक्शा)	रु. 40.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही
³ [(ख) तीन से अधिक किन्तु छह से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)	रु. 150.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही या निम्नलिखित दर पर जीवन-काल-कर -- (एक) नये यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत। (दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) का 2 प्रतिशत जिसका जीवन-काल-कर पूर्व में ही जमा कर दिया गया हो।]

1. अधिसूचना क्र. एफ. 16-3-92-आठ, दिनांक 30-9-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1997 के म.प्र. अधिनियम क्र. 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।



Government of Madhya Pradesh

अनुसूची 1 मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 13

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 की उपधारा (1)]

मोटरयान का वर्ग (1)	मोटरयानों के लिये तिमाही कर की दर (2)
1[एक. मोटर साइकिल -- जिसका लदान रहित वजन-	रुपये
(क) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है	18.00
(ख) 70 किलोग्राम से अधिक है जिनका उपयोग चाहे अनयान (ट्रेलर) खींचने (ड्राइंग) के लिए किया जाता है या नहीं	28.00
दो. मोटरकार -- जिसका लदान रहित वजन-	
(क) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	64.00
(ख) 800 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	94.00
(ग) 1600 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	112.00
(घ) 2400 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	132.00
(ङ) 3200 किलोग्राम से अधिक है	150.00
प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर जिसका लदान रहित वजन :-	
(क) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	28.00
(ख) 1000 किलोग्राम से अधिक है।	66.00
तीन. अशक्त यात्री गाड़ी :	9.00
चार. लोक सेवा यान :	
किराए या पारिश्रमिक (रिवाइड) के लिए चलाए जा रहे तथा यात्रियों के परिवहन के उपयोग में लाए जा रहे मोटरयान-	
² [(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (मोटर साइकिल/ऑटोरिक्षा)	रु. 40.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही
³ [(ख) तीन से अधिक किन्तु छह से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)	रु. 150.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही या निम्नलिखित दर पर जीवन-काल-कर -- (एक) नये यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत। (दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) का 2 प्रतिशत जिसका जीवन-काल-कर पूर्व में ही जमा कर दिया गया हो।]

1. अधिसूचना क्र. एफ. 16-3-92-आठ, दिनांक 30-9-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. 1997 के म.प्र. अधिनियम क्र. 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।



Government of Madhya Pradesh

अनुसूची 1 मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 13

प्रथम अनुसूची
[धारा 3 की उपधारा (1)]

मोटरयान का वर्ग (1)	मोटरयानों के लिये तिमाही कर की दर (2)
1[एक. मोटर साइकिल -- जिसका लदान रहित वजन-	रुपये
(क) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है	18.00
(ख) 70 किलोग्राम से अधिक है जिनका उपयोग चाहे अनयान (ट्रेलर) खींचने (ड्राइंग) के लिए किया जाता है या नहीं	28.00
दो. मोटरकार -- जिसका लदान रहित वजन-	
(क) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	64.00
(ख) 800 किलोग्राम से अधिक किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	94.00
(ग) 1600 किलोग्राम से अधिक किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	112.00
(घ) 2400 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	132.00
(ङ) 3200 किलोग्राम से अधिक है	150.00
प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर जिसका लदान रहित वजन :-	
(क) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	28.00
(ख) 1000 किलोग्राम से अधिक है।	66.00
तीन. अशक्त यात्री गाड़ी :	9.00
चार. लोक सेवा यान :	
किराए या पारिश्रमिक (रिवार्ड) के लिए चलाए जा रहे तथा यात्रियों के परिवहन के उपयोग में लाए जा रहे मोटरयान-	
² [(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (मोटर साइकिल/ऑटोरिक्षा)	रु. 40.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही
³ [(ख) तीन से अधिक किन्तु छह से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)	रु. 150.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही या निम्नलिखित दर पर जीवन-काल-कर -- (एक) नये यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत। (दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) का 2 प्रतिशत जिसका जीवन-काल-कर पूर्व में ही जमा कर दिया गया हो।]

1. अधिसूचना क्र. एफ. 16-3-92-आठ, दिनांक 30-9-1992 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. 1997 के म.प्र. अधिनियम क्र. 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।



Government of Madhya Pradesh

16

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

अनुसूची I

(3) वातानुकूलित/डीलक्स या एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों बाबत ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहाँ अनुज्ञापत्र :-

¹[(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन--

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए

प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 20.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए

प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(दो) पारस्परिक करार के बिना--

(क) वातानुकूलित/डीलक्स सेवा के लिए

रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(ख) एक्सप्रेस सेवा के लिए

रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 15.00 प्रतिसीट प्रतिमास.]

(4) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिए अनुज्ञात अन्य राज्य के यानों की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिए जिसे ले जाने के लिए यान अनुज्ञात किया गया है तथा जहाँ अनुज्ञापत्र -

¹[(एक) किसी पारस्परिक करार के अधीन

प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास.

(दो) पारस्परिक करार के बिना

रु. 40.00 प्रतिसीट प्रतिमास + प्रत्येक 10 कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिमास.]

¹[(ड) ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो परिवहन/आरक्षित परिवहन यान के रूप में उपयोग में लाये जाने के लिए रखे गए हैं--

1. अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6/2009-आठ, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 पृष्ठ 1195-1196(1) पर प्रकाशित। इससे पूर्व इसे अधिसूचना क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा (दिनांक 1 जून, 2008 से) प्रतिस्थापित किया गया था जिसे मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15-5-2008 पृष्ठ 473-474(1-2) पर प्रकाशित किया गया था।



Government of Madhya Pradesh

अनुसूची 1

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

17

(एक) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए	रु. 230.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(दो) एक्सप्रेस/डीलक्स बस के लिए	रु. 180.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(तीन) साधारण बस के लिए	रु. 160.00 प्रतिसीट प्रतिमास]
(च) टेका गाड़ी (कांट्रेक्ट कैरेज)	
¹ [(1) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जारी किए गए "ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट" के अन्तर्गत टेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं,	
(क) 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर) बैठक क्षमता वाले मैक्सी कैब यान के लिए	रुपये 150 प्रतिसीट, प्रतिमाह या निम्नलिखित दर पर जीवन-काल-कर -- (एक) नए यान के मूल्य (कास्ट) का 10 प्रतिशत; (दो) अन्य यानों के मूल्य (कास्ट) का 5 प्रतिशत जिनका जीवन-काल-कर पूर्व में ही संदत्त कर दिया गया हो।
(ख) 12 से अधिक सीटों (चालक को छोड़कर) वाले यानों के लिये	रुपये 800.00 प्रतिसीट प्रतिमाह]
² [(2) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और राज्य के भीतर टेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है -	
(एक) 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर) बैठक क्षमता वाले मैक्सी कैब यान के लिए	³ [रु. 300.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही]
(दो) 12 से अधिक (चालक को छोड़कर) बैठक क्षमता के यान के लिए -	
(क) साधारण बस के लिए	रु. 500.00 प्रतिसीट प्रतिमास
(ख) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिए	रु. 600.00 प्रतिसीट प्रतिमास

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा स्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) द्वारा (1-9-1998 से) प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित।



Government of Madhya Pradesh

18

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

अनुसूची 1

- ¹[(3) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए "ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट" के अन्तर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, प्रत्येक सीट (चालक को छोड़कर) के लिए जिसको ले जाने के लिए यान अनुज्ञात है, जब तक यान मध्यप्रदेश में रहता है--
(एक) वातानुकूलित यान के लिए रुपये 50 प्रतिसीट प्रतिदिन
(दो) गैर वातानुकूलित यान के लिए रुपये 40 प्रतिसीट प्रतिदिन]
- ¹[(4) ऐसे यान जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा मंजूर किए गए ऐसे विशेष अनुज्ञा-पत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, प्रत्येक सीट (चालक को छोड़कर) के लिए जिसको ले जाने के लिए यान अनुज्ञात है, जब तक यान मध्यप्रदेश में रहता है--
(एक) वातानुकूलित यान के लिए रुपये 50 प्रतिसीट प्रतिदिन
(दो) गैर वातानुकूलित यान के लिए रुपये 40 प्रतिसीट प्रतिदिन]
- ²[(4-क) ऐसे यान, जो तीन से अधिक किन्तु छह से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (8) तथा (9) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा दिये गए विशेष अनुज्ञापत्र या "ऑल इण्डिया टूरिस्ट परमिट" पर ठेका गाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं, प्रत्येक सीट, चालक को छोड़कर जिसको ले जाने के लिये वह यान अनुज्ञात है, जब तक यान मध्यप्रदेश में रहता है--
(एक) वातानुकूलित मोटर कैब के लिए रु. 50/- प्रति सीट, प्रतिदिन
(दो) साधारण मोटर कैब के लिए रु. 40/- प्रति सीट, प्रति तीन] अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति 10 किलोमीटर या उसके भाग
- (5) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा स्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 18 जुलाई, 2008 द्वारा अंतःस्थापित (दिनांक 1 अगस्त, 2008 से प्रवृत्त)। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18-7-2008 पृष्ठ 853-854 पर प्रकाशित।



Government of Madhya Pradesh

अनुसूची I

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

19

(8) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा मंजूर किए गए विशेष अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है-

(6) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन मंजूर किए गए अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेकागाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, (चालक को छोड़कर) प्रति सीट के लिए, जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है

³[(7) ऐसे यान, जो छह से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात हैं और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेका गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात है - (एक) साधारण बस के लिये

(दो) वातानुकूलित/डीलक्स बस के लिये

⁴[(8) "ग्रामीण सेवा यान" से अभिप्रेत है ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 6 से 21 यात्रियों की है तथा जो राज्य के कराधान प्राधिकारी द्वारा मोटरयान अधिनियम,

के लिये साधारण बस के लिये ¹[50 पैसे] प्रति सीट और डीलक्स/वातानुकूलित बस के लिये ¹[एक रुपया] प्रतिसीट जो यथास्थिति, खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा।

अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार उसके अंतर्गत आने वाली संपूर्ण दूरी के प्रति 10 कि.मी. या उसके भाग के लिये साधारण बस के लिये ²[50 पैसे] प्रति सीट और डीलक्स/वातानुकूलित बस के लिये ²[एक रुपया] प्रतिसीट जो यथास्थिति, खण्ड (ग), (घ), (ङ) या (च) (2) के अधीन संदत्त कर के अतिरिक्त होगा।]

उपमद (ङ) के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त रु. 7.00 प्रतिसीट प्रतिदिन;

उपमद (ङ) के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त रु. 10.00 प्रतिसीट प्रतिदिन।]

रु. 60.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही.]

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) द्वारा (1-9-1998 से) प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6/2009-आठ, दिनांक 24 नवम्बर, 2010 द्वारा जोड़ा गया। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 नवम्बर, 2010 पृष्ठ 1195-1196(1) पर प्रकाशित।



Government of Madhya Pradesh

20

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

अनुसूची 1

1988 (1988 का 59) की धारा 72 या 87 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र के अधीन केवल "ग्रामीण मार्ग" पर अनन्यरूप से प्रक्रम मंजिली गाड़ी के रूप में चलाए जा रहे हैं, चालक तथा परिचालक को छोड़कर प्रतिसीट के लिए जिसे ले जाने के लिए वह यान अनुज्ञात किया गया है।

1[(छ) बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जा रहे मोटरयान,

(क) 12 यात्रियों तक को ले जाने के लिये अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)

₹. 1000.00 प्रतिसीट प्रतिमास सम्पूर्ण रजिस्ट्रीकृत बैठने की क्षमता के अनुसार;

(ख) 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान (चालक को छोड़कर)

₹. 1500.00 प्रतिसीट प्रतिमास सम्पूर्ण रजिस्ट्रीकृत बैठने की क्षमता के अनुसार।]

स्पष्टीकरण (1) -- यान में, ले जाने के लिए अनुज्ञात यात्रियों की संख्या जिसमें ऐसे यान के चालक तथा परिचालक सम्मिलित नहीं होंगे, और :-

(एक) किसी मोटरयान की दशा में, जिसके संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञापत्र मंजूर किया गया है, यात्रियों की संख्या उतनी होगी जितनी कि मोटरयान में ले जाने के लिए अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत है।

(दो) मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र के बिना किराए या पारिश्रमिक पर चलाए जा रहे किसी मोटरयान की दशा में, व्यक्तियों अथवा यात्रियों की अधिकतम वह संख्या होगी जो यदि अनुज्ञापत्र पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन मंजूर किया जाता तो यान में ले जाने के लिए अनुज्ञात की जाती :

परन्तु किसी ऐसी मोटर केब या मोटरकार की दशा में, जिसका कि मंजिली गाड़ी के रूप में दुरुपयोग किया गया है, यात्रियों की संख्या वही होगी जो ऐसे दुरुपयोग के समय वस्तुतः ले जा गए व्यक्तियों या यात्रियों की संख्या है।

स्पष्टीकरण (2) -- मद (ग) (एक) तथा (घ) (एक) के प्रयोजनों के लिए "एक्सप्रेस सेवा" से अभिप्रेत है ऐसी सेवा जो परिवहन प्राधिकारी द्वारा उस रूप में चलाए जाने के लिए अनुज्ञात की गई है।

स्पष्टीकरण (3) -- किसी यान द्वारा एक दिन में तय की जाने वाली अनुज्ञात दूरी किसी ऐसे मोटरयान की दशा में, जिसके कि संबंध में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञापत्र मंजूर



Government of Madhya Pradesh

अनुसूची 1

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

21

किया गया है, वह दूरी होगी जो ¹[मध्यप्रदेश में अनुज्ञापत्र के अनुसार] तय की जाने के लिए प्राधिकृत की गई है।

स्पष्टीकरण (4) -- जहाँ मध्यप्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य की सरकार के बीच के किसी करार के अनुसरण में, किसी ऐसी मंजिली गाड़ी के संबंध में, जो किसी ऐसे मार्ग पर चलाई जा रही है जो भागतः मध्यप्रदेश में और भागतः किसी अन्य राज्य में आता है, कर केवल मध्यप्रदेश सरकार को ही देय है वहाँ ऐसे यान के संबंध में कर की संगणना, ऐसी मंजिली गाड़ी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे मार्ग पर तय की गई कुल दूरी पर की जाएगी।

स्पष्टीकरण (5) -- जहाँ किसी मंजिली गाड़ी में परिचालक को ले जाने से छूट दी गई वहाँ स्पष्टीकरण (1) में आने वाले शब्द "चालक तथा परिचालक" का अर्थ केवल "चालक" लगाया जाएगा।

²**स्पष्टीकरण (6)** -- खण्ड (ड) के प्रयोजन के लिए, मंजिली गाड़ी सेवा के अनुज्ञापत्र धारक की आरक्षित मंजिली गाड़ियों/ अतिरिक्त बसों की संख्या उस अन्तर के बराबर होगी, जो स्वामित्व के कुल यानों की संख्या तथा उसके द्वारा धारित अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार अपेक्षित कुल यानों की संख्या के बीच हो।

स्पष्टीकरण (7) -- खण्ड (छ) में के शब्द "बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जा रहे" के अन्तर्गत आता है किसी अप्राधिकृत मार्ग पर किसी लोक सेवा यान का चलाया जाना या मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत न की गई कोई ट्रिप करना, किन्तु उसके अन्तर्गत किसी लोक सेवा यान का ³[***] मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) में अधिकथित परिस्थितियों के अधीन चलाया जाना नहीं आता है।

स्पष्टीकरण (8) -- खण्ड (छ) के अधीन उद्ग्रहणीय कर का संदाय निम्नलिखित बातों के होते हुए भी किया जाएगा :-

(1) चाहे मोटरयान के स्वामी का अभियोजन किया गया हो या नहीं, और

(2) जहाँ मोटरयान बिना अनुज्ञापत्र के चलाए जाने या अप्राधिकृत मार्ग पर चलाए जाने या उसके द्वारा अप्राधिकृत ट्रिप जाने के लिए चालान फाइल किए जाने के पश्चात् चाहे दाण्डिक कार्यवाहियाँ समाप्त हो गई हों या नहीं हुई हों।]

⁴**स्पष्टीकरण (9)** -- मंजिली गाड़ी सेवा अनुज्ञापत्र के धारक द्वारा ऐसे अनुज्ञापत्र पर चलाने के लिए प्राधिकृत बसों की बाबत देय कर :-

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 26 सन् 1991) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 26 सन् 1991) द्वारा (1-1-1992 से) अंतःस्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1993) द्वारा (10-10-1992 से) विलोपित।
4. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 10 सन् 1993) द्वारा (10-10-1992 से) अन्तःस्थापित।



Government of Madhya Pradesh

22

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

अनुसूची I

- (एक) बसों की ऐसी संख्या के लिए जो धारित पत्रों के अन्तर्गत आने वाले समस्त मार्गों पर किसी भी दिन सेवा बनाए रखने हेतु चलाने के लिए अपेक्षित हो, उप-मद (घ) के अधीन, तथा
- (दो) बसों की शेष संख्या के बाबत उप-मद (ङ) के अधीन, ऐसी बसों की औसत बैठने की क्षमता के आधार पर संगणित किया जाएगा।]

पाँच. मालयान -

- ¹[(क) जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान वजन--
- | | | |
|--------|--|-----------------------------|
| (एक) | 2000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 600.00 प्रति तिमाही। |
| (दो) | 2000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 4000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 900.00 प्रति तिमाही। |
| (तीन) | 4000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 6000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 1300.00 प्रति तिमाही। |
| (चार) | 6000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 8000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 1700.00 प्रति तिमाही। |
| (पाँच) | 8000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 10000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 2100.00 प्रति तिमाही। |
| (छह) | 10000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 2500.00 प्रति तिमाही। |
| (सात) | 12000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 14000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 2900.00 प्रति तिमाही। |
| (आठ) | 14000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 16000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 3300.00 प्रति तिमाही। |
| (नौ) | 16000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 18000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। | रुपये 3700.00 प्रति तिमाही। |
| (दस) | और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 2000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए। | रुपये 500.00 प्रति तिमाही।] |
- (ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन किसी अन्य राज्य द्वारा मंजूर किए गए नेशनल परमिट के अन्तर्गत आने वाले मालयानों के संबंध में कर ²[रुपए 5000] प्रतियान प्रतिवर्ष होगा।
- (ग) अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में जो अन्य राज्य द्वारा जारी किए गए और मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों के अधिकार पर चल रहे हैं, कर का संदाय, खण्ड पाँच के उपखण्ड (क) में तिमाही के लिए विनिर्दिष्ट कर के ²[पिच्य्यासी प्रतिशत] की दर से किया जाएगा।

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2005) द्वारा (5-1-2005 से) प्रतिस्थापित।

2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1993 (क्रमांक 13 सन् 1993) द्वारा प्रतिस्थापित।



Government of Madhya Pradesh

अनुसूची 1

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

23

(घ) अन्य राज्यों के मालयानों के संबंध में, जो एक मास से अनधिक कालावधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में चल रहे हैं, कर की दर, (खण्ड पाँच) के उपखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट तिमाही के लिए देय कर की एक तिहाई होगी।

¹[²छह. ओमनी बस निजी उपयोग के लिए]-

छह से अधिक व्यक्तियों (चालक को छोड़कर) के बैठने की क्षमता वाले और व्यक्तियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मोटरयान की प्रत्येक सीट के लिये-

- (क) जिसकी रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) 12 तक है।
- (ख) जिसकी रजिस्ट्रीकृत बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) 12 से अधिक है।

₹. 100.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही।

₹. 350.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही।]

¹[सात. प्राइवेट सेवा यान -

चालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले और साधारणतः ऐसे यान के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से उसके अपने व्यापार या कारबार के लिए या उसके संबंध में व्यक्तियों को किराये अथवा पारितोषिक पर न होकर अन्यथा ले जाने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्राइवेट सेवा यान--

³[(एक) जहाँ कि यान स्वामी के नाम से रजिस्ट्रीकृत है

₹. 450.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही।

(दो) जहाँ कि यान स्वामी द्वारा पट्टा करार के अधीन भाड़े पर अर्जित किया गया है।

₹. 600.00 प्रतिसीट प्रति तिमाही।]

आठ. शैक्षणिक संस्था बस-

चालक को छोड़कर छह व्यक्तियों से अधिक बैठने की क्षमता वाली शैक्षणिक संस्था बस जो साधारणतया किसी महाविद्यालय, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्था द्वारा या उसकी ओर से उपयोग में लाई जाती है और जिसका उपयोग संस्था के क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप के संबंध में विद्यार्थियों या शैक्षणिक संस्था के कर्मचारीवृन्द के परिवहन के लिए ही किया जाता है।

₹. 30.00 प्रतिसीट।

¹[नौ. इस अनुसूची के विनिर्दिष्ट यानों के वर्ग में से किसी वर्ग के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य मोटरयान जिसका लदान रहित वजन-

- (एक) 1000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।
- (दो) 1000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 2000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।

₹. 152.00 प्रति तिमाही।

₹. 200.00 प्रति तिमाही।

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 11 सन् 1997) द्वारा (1-4-1997 से) प्रतिस्थापित।
2. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) द्वारा (1-9-1998 से) प्रतिस्थापित।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2000) द्वारा प्रतिस्थापित।



Government of Madhya Pradesh

24

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

अनुसूची I

(तीन)	2000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 290.00 प्रति तिमाही।
(चार)	3000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 4000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 382.00 प्रति तिमाही।
(पाँच)	4000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 5000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 527.00 प्रति तिमाही।
(छह)	5000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 6000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 690.00 प्रति तिमाही।
(सात)	6000 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 7000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।	रुपये 871.00 प्रति तिमाही।
(आठ)	और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये	रुपये 254.00 प्रति तिमाही।
(नौ)	प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर	रुपये 73.00 प्रति तिमाही।
[दस]	ऐसे यान, जो क्रेन, क्रेशर, बुलडोजर, डम्पर, लोडर ट्रक, पेलोडर, अर्थमूवर, मोटर ग्रेडर, यांत्रिक फावड़ा (मैकेनिक शोवल) तथा हार्वेस्टर के नाम से आशयित हैं, और जिनका लदान रहित भार--	
(एक)	700 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है	रु. 3700/- प्रति तिमाही
(दो)	और तत्पश्चात् प्रत्येक 1000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए	रु. 500/- प्रति तिमाही।]

टिप्पणी -- (1) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कर की दरें, संबंधित वर्ग के मोटरयानों को तभी लागू होंगी जब उनमें हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुए हों।

(2) गैर हवादार (नान न्यूमेटिक) टायर लगे हुए किसी मोटरयान की बाबत कर की दरें उसी वर्ग के हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुए यान के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों का डेढ़ गुना होंगी।]

टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम अनुसूची का स्पष्टीकरण (7) के साथ पठित म.प्र. मोटरयान संशोधन अधिनियम, 2004 द्वारा यथा संशोधित म.प्र. मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि चार के खण्ड (छ) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने की विधि को असंवैधानिक घोषित किया -- लंबित मामलों पर परिणाम -- असंवैधानिकता के प्रश्न पर विचार करने एवं लंबित मामलों पर उसे लागू करने के संबंध में विचार करने हेतु उच्च न्यायालय स्वतंत्र है। **अपील प्राधिकारी/परिवहन आयुक्त बनाम विभागीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य परिवहन निगम, 2008 (1) एम.पी.एल.जे. 294।**

प्रथम अनुसूची के खंड (छ) तथा स्पष्टीकरण (7) के अधीन उपबंध -- असंवैधानिक है -- परमिट-धारक के लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह परमिटधारी नहीं है -- 1988 की धारा 192क के अधिनियम के अधीन उल्लंघन दंडनीय बनाया गया है। **हरदेव मोटर ट्रांसपोर्ट बनाम म.प्र. राज्य, 2007 (2) जे.एल.जे. 113 (उच्चतम न्यायालय) = (2006) 8 एस.सी.सी. 613 = ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 839 = 2007 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 556।**

1. अधिसूचना क्र. एफ-22-37-2007-आठ दिनांक 18 जुलाई, 2008 द्वारा उप मद जोड़ी गई। (दिनांक 1 अगस्त, 2008 से प्रवृत्त)। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 18-7-2008 पृष्ठ 853-854 पर प्रकाशित।



Government of Madhya Pradesh

अनुसूची 2

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

25

द्वितीय अनुसूची

[धारा 3 की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक]

मोटर यानों का वर्णन (1)	जीवन काल कर की दर (2)
1[1. संलग्नकों (अटैचमेंट) सहित या रहित मोटर साइकिलें जिनका लदान रहित वजन- (एक) 70 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (दो) 70 किलोग्राम से अधिक है।	यान के मूल्य (कास्ट) का ² [7 प्रतिशत] यान के मूल्य (कास्ट) का ² [7 प्रतिशत]
2. मोटर कारें जिनका लदान रहित वजन - (एक) 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (दो) 800 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (तीन) 1600 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 2400 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (चार) 2400 किलोग्राम से अधिक है किन्तु 3200 किलोग्राम से अधिक नहीं है। (पाँच) 3200 किलोग्राम से अधिक है।	यान के मूल्य का ² [7 प्रतिशत]। यान के मूल्य का ² [7 प्रतिशत]। यान के मूल्य का ² [7 प्रतिशत]। यान के मूल्य का ² [7 प्रतिशत]। यान के मूल्य का ² [7 प्रतिशत]।
स्पष्टीकरण -- (1) यान का मूल्य (कास्ट) से अभिप्रेत है व्यापारी द्वारा वसूल किया गया मूल्य (कास्ट)। (2) उपरोक्त वर्ग के यानों के मूल्य (कास्ट) के आधार पर जीवन-काल-कर की संगणना करने के लिए, यान के स्वामी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह रजिस्ट्रीकरण के समय व्यापारी द्वारा जारी की गई विक्रय रसीद प्रस्तुत करे।]	
3[3. निजी उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक क्षमता 6 से अधिक तथा 12 तक (चालक को छोड़कर) है।	यान के मूल्य (कास्ट) का 7 प्रतिशत
4[4. अशक्त यात्री गाड़ी	360]
5[5. 3 + 1 तक की बैठक की क्षमता वाले ऑटोरिक्षा।	बाजार मूल्य का 6 प्रतिशत।]
6[6. क्रेन, क्रेशर, बुलडोजर, 7[***] ट्रक, लोडर ट्रक, अर्थमूवर/पेलोडर, मोटर ग्रेडर तथा यांत्रिकी फावड़ा (मैकेनिकल शोवल)।	यान की लागत का 6 प्रतिशत।]

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 11 सन् 1997) द्वारा (1-4-1997 से) प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ. 22-31-2009-आठ, दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 द्वारा अंक और शब्द "5 प्रतिशत" के स्थान पर प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 पृष्ठ 1037 पर प्रकाशित। इससे पूर्व मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) द्वारा "5 प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किये गए थे।
3. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा प्रतिस्थापित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-2-2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।
4. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 23 सन् 1998) द्वारा (1-9-1998 से) प्रतिस्थापित।
5. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) द्वारा अन्तःस्थापित।
6. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2005) द्वारा (5-1-2005 से) अन्तःस्थापित।
7. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा शब्द "डम्पर ट्रक" विलोपित। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-2-2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।



Government of Madhya Pradesh

26

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991

अनुसूची 3

- 1[7. माल यान, जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार 2000 किलोग्राम या कम है। यान के मूल्य (कास्ट) का 10 प्रतिशत जीवन-काल-कर।
8. डम्पर ट्रक यान के मूल्य (कास्ट) के 10 प्रतिशत की दर पर जीवन-काल-कर।]

तृतीय अनुसूची
[धारा 4 देखिए]

यानों का वर्णन	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के प्रथम सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के अतिरिक्त सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर		
	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
(1) मोटर साइकिलें	400.00		400.00	
(2) भारी मोटरयानों के चेसिस	600.00		600.00	
(3) अन्य यान	500.00		500.00	

1. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 6 सन् 2006) द्वारा जोड़ा गया। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1.2.2006 पृष्ठ 110-110 (1) पर प्रकाशित।